न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

ल संख्या : 16/121

मोती लाल आत्मज स्व0 उदा जाति मीणा निवासी अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
—अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज स्व0 उदा जाति मीणा ।
2. मुरारी लाल आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा ।
3. प्रहलाद आत्मज स्व0 उदा जाति मीणा ।
4. हंसराज आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा ।
5. रामकुंवार आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा ।
6. रामेशवर आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

—रेस्पोडेन्ट

अपील संख्या : 16/122

मोती लाल आत्मज स्व0 उदा जाति मीणा निवासी अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
—अपीलान्ट

बनाम

1. रामस्वरूप आत्मज स्व0 उदा जाति मीणा ।
2. मुरारी लाल आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा ।
3. प्रहलाद आत्मज स्व0 उदा जाति मीणा ।
4. हंसराज आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा ।
5. रामकुंवार आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा ।
6. रामेशवर आत्मज स्व0 उदा जी जाति मीणा निवासीगण ग्राम अरडाना तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

उपस्थित :— 1. श्री रघुवीर यादव, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री राजेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

दिनांकः 14.02.2018

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

दोनों अपीलें एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने तथा एक अपील प्राथमिक डिक्री होने तथा दूसरी अंतिम डिक्री की होने से तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं 53 के अन्तर्गत ग्राम अरडाना तहसील के0 पाटन की आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.14 हैक्टर, खसरा नम्बर 364 रकबा 2.17 हैक्टर, खसरा नम्बर 368 रकबा 0.07 हैक्टर, खसरा नम्बर 459 रकबा 2.24 हैक्टर कुल 05 किता की 4.77 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी क्रम 1 के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से ही अधिकार है ।

4. अतः वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी पर वादीगण एवं प्रतिवादी प्रत्येक का 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा जो कृषि भूमि हिस्से में आवे उसका विधिवत विभाजन किया जाकर प्रत्येक का अलग–अलग खाता राजस्व रिकॉर्ड में कायम किया जावे ।

5. प्रतिवादी क्रम 1 ने इकबालिया जवाबदावा प्रस्तुत कर दावा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया ।

6. तत्पश्चात् पक्षकारान द्वारा दिनांक 20.01.2006 को अधीनस्थ न्यायालय में एक लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 24.01.2006 के द्वारा पक्षकारान के मध्य हुए लिखित राजीनामा अनुसार वादी का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित कर दी । अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्राथमिक डिक्री के अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 पारित कर दी ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में उक्त दोनों अपीलें प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 निरस्त करने का निवेदन किया ।

9. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट मृतक उदा जी का पुत्र है व रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 का भाई है जिसे वाद में पक्षकार नहीं बनाया । प्रस्तुत प्रकरण में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट को उसकी भूमि के बेदखल करने पर आमादा है जिससे अपीलान्ट के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है । अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें ।

10. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बसह पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट व्यथित पक्षकार है और वह मृतक उदा का पुत्र है

वादी रेस्पोडेन्ट उसके भाई हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रा 96 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

11. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उसे उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.07.2015 को अपीलान्ट को उसके कब्जे से बेदखल करने आने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री की नकल प्राप्त कर यह दोनों अपीलें प्रस्तुत की गई हैं । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

12. उक्त दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिक्तागण की बहस सुनी गई ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया जबकि प्रस्तुत प्रकरण में वह आवश्यक पक्षकार था । अपीलान्ट मृतक उदा जी का पुत्र एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 का भाई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है क्योंकि उसे पक्षकार नहीं बनाया था । प्रस्तुत प्रकरण में मृतक उदा ने अपने जीवनकाल में अपने पुत्र रेस्पोडेन्ट कम 5 व 6 को आराजी खसरा नम्बर 198 की 1.24 हैक्टर खसरा नम्बर 204 की 1.90 हैक्टर कुल 3.14 हैक्टर भूमि उनके खाते करवा दी थी तथा विवादित भूमि के पांच हिस्से कर रेस्पोडेन्ट कम 1 से 4 प्रत्येक को 0.89 हैक्टर भूमि व अपीलान्ट को 0.91 हैक्टर भूमि काश्त करने हेतु दी गई और उदा जी ने अपने पास कोई भूमि नहीं रखी । वादीगण ने उक्त वाद गलत तथ्यों पर पेश कर डिक्री करवा लिया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार भी नहीं बनाया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई हैं वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 निरस्त फरमाया जावे ।

14. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 बहाल रखा जावे ।

15. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किय एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया था इसलिए उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी ।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट मृतक उदा जी का पुत्र है एवं प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 से 4 का भाई है और उसे अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनाये बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया जबकि वह प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार था और उक्त वादग्रस्त आराजी में उसका हक हिस्सा निहित था । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय प्राथमिक डिक्री एवं अंतिम डिक्री निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

17. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 16/121 एवं 16/122 दोनों आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 24.01.2006 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 29.12.2007 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 28.03.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

18. निर्णय आज दिनांक 14.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा